International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 22-05-2020; Accepted: 07-05-2020; Published: 23-06-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 3; 2020; Page No. 54-59

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की कार्यक्षेत्र के प्रति वैधानिक जागरूकता

किशोर कुमार
समाजशास्त्र विभाग, रा0स्ना0महाविद्यालय, बेरीनाग, पिथौरागढ, उत्तराखण्ड़, भारत

सारांश
असंगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। जिसके अर्न्तगत अनेको अपंजीकृत उद्योग एवं व्यवसाय आते है। स्वतंत्रता से पूर्व जहॉ महिलाऐं पराम्परागत–रुढियों, समस्याओं एंव परिवार के मूल्यों एवं आदर्शो के कारण खुली हवा में सांस नही ले पा रही थी। वही स्वतंत्रता के पश्चात्, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के युग में महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप महिलाओं में घर से बाहर कार्य करने की प्रवृति विकसित हुई। जिसमें महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। परम्परागत समाजों में राजनीति में सहभागिता समाज के केवल पुरूष वर्ग की ही होती थी किन्तु आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं में भी राजनीति के प्रति रूचि का बढ़ना स्वाभाविक है। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि आधुनिकीकरण के साथ ही महिलाओं में राजनीति ज्ञान, चेतना एवं सहभागिता का भी विकास होगा। इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध प्रपत्र नैनीताल नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् 248 महिलाओं को संगणना पद्वति के आधार चयनित किया गया हैं। जिसमें कार्यरत् महिलाओं को दो श्रेणियों में विभाजित गया है, पहला कुटीर क्षेत्र में 168 तथा दूसरा सेवा क्षेत्र में 80 महिलाएं कार्यरत् पायी गयी। इसी आधार इन क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं का कार्यक्षेत्र के प्रति वैधानिक जागरूकता को विश्लेषित करने का प्रयास किया जायेगा।

मूल शब्द: भारतीय सुसंस्कृत, स्त्री संवेदना

प्रस्तावना
प्रस्तुत प्रपत्र में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं की वैधानिक जागरूकता की दशाओं के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गयें। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रयास किए गयें, परन्तु इन प्रयासों का क्रियान्वयन उचित ढंग से न हो पाने के कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो है, पर उनको इसका पर्याप्त लाभ नही मिल पा रहा है। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक कल्याणकारी व रोजगार परक योजनाएं बनायी गयी। इन योजनाओं से निश्चित तौर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का कार्यक्षेत्र से सम्बंधित वैधानिक योजनाओं के प्रति जागरूकता का विकास हुआ है।
परम्परागत समाजों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का स्तर सामान्यतः निम्न ही रहा है, इसीलिए राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को बढाने के लिए समय–समय पर सामाजिक, प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किये जाते रहें है। स्थानीय प्रशासन (पंचायत) में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण, जो बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।[1] स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु जो भी प्रयास किए गये उसका प्रभाव मात्र समाज के उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा है। यह स्थिति वर्तमान में यथावत है। जहॉ संगठित क्षेत्रों की महिलाओं को इस क्षेत्र से सम्बंधित कार्यशील कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ मिल पाता है, वही असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओ को सरकार द्वारा श्रमिकों हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। जिसका प्रमुख कारण असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं का कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रति जागरूक न होना। इस हेतु प्रस्तुतकर्ता द्वारा उत्तरदात्रियों से असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक हेतू चलाये जा रहे कार्यक्रमो एवं योजनाओं के प्रति जानकारी आदि के संदर्भ में उत्तरदात्रियों की अभिवृत्तियों को निम्नतालिका द्वारा विश्लेषण करने का जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या 1.01: असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक हेतू चलाये जा रहे कार्यक्रमो एवं योजनाओं के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	पूर्णतः जानती हैं	44	26.19	27	33.75	71	28.63
2	आंशिक रूप से जानती है	68	40.47	42	52.50	110	44.35
3	बिल्कुल नही	56	33.34	11	13.75	67	27.02
4	योग	168	100	80	100	248	100

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता कि नैनीताल नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मात्र 28.67 प्रतिशत महिलाओं को ही सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक हेतू चलाये जा रहे कार्यक्रमो एवं योजनाओं से सम्बंधित पूर्ण रूप से जानकारी है। जिससे वे सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले पाती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी अनभिज्ञ 27.02

प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं की जानकारी ही नहीं है तो उन्हें योजनाओं के लाभ कैसे मिलेंगा। जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं हेतु सरकारी प्रयासों की दयनीय स्थिति को भी अभिव्यक्त करता है।

कुटीर उद्योग क्षेत्र की 33.34 प्रतिशत महिलाएं, जो श्रम कल्याण की योजनाओं से परिचित नही हैं तथा जिन्हें इसका लाभ भी नही मिला पाता है। इसका मुख्य कारण कुटीर उद्योग क्षेत्र की महिलाओ में व्याप्त निरक्षरता, गरीबी व अज्ञानता है। जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है।

पुरूषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त को विश्वव्यापी मान्यता रही है। भारतीय संविधान के राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बंद्ध अनुच्छेद–39 में कहा गया है कि राज्य नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा जिससे पुरूषों और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

1958 में भारत सरकार द्वारा अंतराष्ट्रीय श्रम–संगठन के समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 के अनुसार स्पष्ट है कि पुरूष और महिला कार्मिकों को समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने और इसे श्रम कानूनों या सामूहिक समझौतों के जरिए अनिवार्य रूप से लागू कराने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 ने भी सिफारिश की, "समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त इस समय की अपेक्षा, अधिक संतोषजनक रूप से लागू करना चाहिए।" समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का मुख्य उद्देश्य पुरूषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना तथा नियोजन और उससे संबद्ध मामलों में लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकना है।[2]

एक अच्छे कार्योजन की दशाओं में वे सभी कल्याणकारी सुविधाऐं आती हैं जो एक कार्योजित श्रमिक के परिवार, समुदाय, समाज तथा बच्चों के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक श्रमिक रोजगार करता है। कल्याणकार्य वह कार्य है जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों के लिए उनके वेतन के अतिरिक्त उन सभी कार्यदशाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उनके आराम तथा मानसिक व सामाजिक उन्नति के लिए किये जाते हैं और जो न तो कानून के द्वारा अनिवार्य हैं और न संस्था के लिए आवश्यक हैं। श्रम अनुसंधान समिति द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत मालिको, सरकार अथवा अन्य संस्थाओं ने श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक व आर्थिक विकास के कार्यों को समावेश करने की वकालत की है। जिसके अनुसार कार्य ऐसी सुविधाओं के अतिरिक्त होना चाहिए जो श्रमिक सांविदिक रूप से अपने मालिको से प्राप्त कर लेते हैं या जो विधान के अन्तर्गत उनको मिलती है। इस प्रकार इसके अन्तर्गत वे सब कार्य जैसे –समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936), मातृत्व अभिलाभ अधिनियम (1961), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948) आदि कार्य चाहे वे मालिकों द्वारा एच्छिक रूप से अकेले अथवा श्रमिकों के सहयोग से किये जाते हो, आते हैं। इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं के सन्दर्भ में प्रस्तुतकर्ता ने भी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं से जानकारी प्राप्त करनी चाही है कि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वयं तक पहुँच पाता हैं या नहीं, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं की अच्छी कार्यदशा को प्रभावित करता है। अतः इस संदर्भ में जो तथ्य उत्तरदात्रियों से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में निम्नलिखित सारणी विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

सारणी संख्या 1.02: कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	हॉ	55	32.73	26	32.50	81	32.66
2	नही	78	46.43	37	46.25	115	46.37
3	कह नही सकती	35	20॰84	17	21.25	52	20.97
4	योग	168	100	80	100	248	100

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता कि नैनीताल नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् मात्र 32.66 प्रतिशत महिलाऐं ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो पा रही है। जबकि अधिकांश 67.34 प्रतिशत महिलाएं इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नही हो पा रही है। जो कार्यरत् महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न जागरूकता को दर्शाता है।

भारत में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक दशा सुधारने के लिये संवैधानिक सुरक्षाओं के साथ ही साथ समय–समय पर उनके लिए अनेक कल्याणकारी व रोजगारपरक योजनाएं व कार्यक्रम चलायी जा रहे है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन में उत्तरदात्रियों से सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिकों हेतू चलाये जा रहे निम्न कार्यक्रमो एवं योजनाओं के प्रति जानकारी के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तरों को निम्नतालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 1.03: सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक हेतू चलाये जा रहे कार्यक्रमो एवं योजनाओं के प्रति जानकारी के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	पूर्णतः जानती हैं	44	26.19	27	33.75	71	28.63
2	आंशिक रूप से जानती है	68	40.47	42	52॰50	110	44.35
3	बिल्कुल नही	56	33.34	11	13.75	67	27.02
4	योग	168	100	80	100	248	100

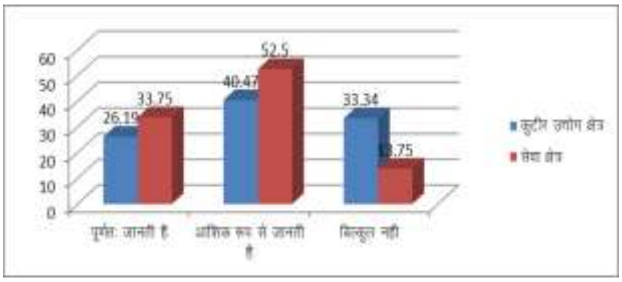

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ द्वारा स्पष्ट होता कि नैनीताल नगर के असंगठित क्षेत्र के कुटीर उद्योगों में कार्यरत 72.98 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के प्रति पूर्णतः एवं आंशिक जानकारी रखती हैं। जबकि 27.02 प्रतिशत महिलाओं को इन क्षेत्रों में क्रियाशील योजनाओं की कोई विशेष जानकारी नही है। अतः कार्यरत् महिलाओं का असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक हेतु चलाये जा रहे मुख्य निम्न कार्यक्रमो एवं योजनाओं की जानकारी का विश्लेषण निम्नतालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या –1.04: असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिक हेतू चलाये जा रहे किन–किन कार्यक्रमो एवं योजनाओं की जानकारी के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936)	18	16.07	14	20.28	32	17.68
2	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)	27	24॰11	13	18.84	40	22.09
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948)	25	22.32	19	27.55	44	24.30
4	मातृत्व अभिलाभ अधिनियम (1961)	36	32.14	18	26.08	54	29.84
5	अन्य	06	5.36	05	7.25	11	6.09
6	योग	112	100	69	100	181	100

मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936–श्रमिकों के लिए केवल मजदूरी की मात्रा ही महत्वपूर्ण नही होती, बल्कि उसकी अदायगी के तरीके, मजदूरी भुगतान के अंतराल, उसके कटौतियॉ तथा उसके संरक्षण से संबद्ध अन्य कई बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। मजदूरी की संरक्षा से संबद्ध कानूनों के बनाए जाने के पहले मजदूरी के भुगतान में कई तरह के अनाचार हुआ करते थे।मजदूरी भुगतान के लिए कोई निश्चित अवधि भी नही रहती थी। नियोजक अपनी ईच्छा से एक लम्बी अवधि अथवा कई महिनों के बीत जाने पर ही मजदूरी का भुगतान किया करते थे। नियोजक कार्य से अनुपस्थिति, खराब काम, औजारों या समानों की क्षति, नियमों आदेशों के उल्लंघन, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति आदि कई बहानों से मजदूरी से मनमाने ढंग से कटौतियॉ भी किया करते थें। इन कटौतियों के फलस्वरूप कभी–कभी तो श्रमिकों को मजदूरी की पूरी राशि से भी हाथ धोना पड़ता था।इसी संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की 17.68 प्रतिशत महिलाओं को मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936 की जानकारी है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948– श्रमिकों की मजदूरी नियत करने के लिए कई तरीके प्रयोग में लाए जाते है। कई उद्योगों या नियोजनों में श्रमिक अपने संघ बनाकर मजदूरी–वृद्धि के लिए नियाजकों पर दबाव डालते रहते है। इन नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों को एक ओर तो कम दर पर मजदूरी दी जाती है, दूसरी ओंर उन्हें अधिक देर तक कठिन दशाओं में काम भी करना पड़ता है।इसी संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की 22.09 प्रतिशत महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की जानकारी है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948–यह अधिनियम प्रथम चरण में सारे देश में मौसमी कारखानों को छोड़कर ऐसे सभी कारखानों (जिनमें सरकार के स्वामित्व वाले कारखानें भी सम्मिलित हैं) में लागू है। लेकिन, यह अधिनियम सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उन कारखानों या स्थापनो में लागू नही होता, जिनके कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हितलाभों से सारभूत रूप से समान या उनसे उच्चतर हितलाभ उपलब्ध हों। पहले यह अधिनियम ऐसे कर्मचारियों के साथ लागू था जिनकी अधिकतम मजदूरी 1,600 रूपये प्रतिमाह थी, लेकिन 1989 के संशोधन के अनुसार मजदूरी की अधिकतम सीमा विहित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे दी गयी। इस शक्ति का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भ में अधिनियम के अंतर्गत 3,000 रूपये प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों को दायरे में लाया, लेकिन वर्तमान समय में यह अधिनियम 6,500 रूपये प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के साथ लागू है। इसी संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की 24.30 प्रतिशत महिलाओं को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 की जानकारी है।[3]

मातृत्व अभिलाभ अधिनियम, 1961–देश में ओद्योगिकरण के प्रसार के साथ–साथ उद्योगों में महिला–श्रमिकों के नियाजन के अवसर बढे है। आज बड़ी संख्या में महिला श्रमिक कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने लगी है। महिला श्रमिकों को प्रसवावस्था में विशेष संरक्षा की आवश्यकता होती है। जिसके अंतर्गत सभी कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिला–श्रमिकों के लिए प्रसवावस्था में नकद तथा अवकाश के रूप में प्रसूति–हितलाभ की व्यवस्था की गई। हितलाभ बच्चे के जन्म के पहले तथा बाद में निर्धारित अवधि के लिए देय है। प्रमुख अधिनियम मुख्यतया कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत् विवाहित महिलाओं को दिया जाने वाला लाभ है।

सुदृढ़ शारीरिक क्षमता, मानसिक परिपक्वता, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वातन्त्र चेतना ने महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकसित आयाम ने घर–आंगन एवं रोशनी की बंधी–बंधायी जिन्दगी से बाहर निकालकर खुली हवा में सांस लेने की स्वतन्त्रता प्रदान की है। यही नहीं पुरूष एकाधिकार वाले नये क्षेत्रों में कठोर बर्फ जैसी जमीं चटटानों को तोड़कर आगे बढ़ी और विकसित उन्नत तकनीकों को अपनाकर जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव लायी हैं। वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं को (चाहे वे निरक्षर हों, अल्प साक्षर हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त हों) हर प्रकार के छोटे–बड़े काम का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षित महिलाऐं कम्प्यूटर द्वारा टाइप करना, एकाउण्ट का कार्य करना, कैलेन्डर बनाना, पैकिंग मैटेरियल का चित्रांकन एवं लिखावट करना, प्रचार–प्रसार की सारणी का निर्माण कर रही हैं। आज सम्पूर्ण विश्व समुदाय परिर्वतन के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखने की है क्योंकि असन्तुलित समाज कभी भी अपनी आवश्यकताओं को नियोजित दिशा में पूरा नहीं कर पायेगा। यह कार्य तभी पूर्ण होगा जब महिला कल्याण एवं उत्थान को पुरूष की बराबरी पर लाया जायेगा, वैसे हमारी

सरकारी व्यवस्था इसमें भरपूर योगदान दे रही है। फिर भी कुछ खामियॉ है।

भारतीय महिलाएं आज भी विभिन्न परिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। जो इनके कार्य की स्थिति को प्रभावित करती हैं। महिलाओं द्वारा काम पाने के सम्बन्ध में जो परम्परागत विचार थे वे अब समाप्त होते जा रहे है। परम्परागत वे बंधन जो उच्च तथा मध्यम वर्ग की महिलाओं को बाहर काम करने जाने से रोकते थे अब काफी ढीले पड़ गये हैं भले ही वे पूरी तरह से समाप्त न हुए हों। जीवन निर्वाह की ऊॅची लागत तथा जीवन की बढ़ती आवश्यकताओं ने भी कन्याओं तथा विवाहित महिलाओं को इस बात के लिए बाध्य किया है कि, वे अपने परिवार की आय में वृद्वि के लिए काम की तलाश करें। शिक्षित महिलाओं ने तथा उच्च वर्ग की महिलाओं ने भी घर से बाहर निकलकर नौकरी करना इसलिए प्रारम्भ कर दिया है क्योंकि, उन्हें काम करना पसन्द है तथा वे काम को अपने जीवन का आधार व उद्देश्य बनाना चाहती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक राज्य अपनी श्रम एवं औद्योगिक नीतियों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखे कि महिला–पुरूष को समान रूप से जीविकोपार्जन करने का अधिकार प्राप्त हो तथा दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और उनके साथ समान व्यवहार किया जाय। महिलाओं का अनुचित शोषण नहीं किया जाना चाहिए तथा उनकी यथोचित सुरक्षा एवं कल्याण की पूर्ण गारण्टी होनी चाहिए। यद्यपि सरकार द्वारा तो महिला कार्योजन के क्षेत्र तथा उनके लिए कल्याणात्मक प्रयास किए गये है किन्तु वे सैद्धांतिक अधिक लगते हैं व्यावहारिक कम। इसकी व्यावहारिकता के बारे में अध्ययनकर्ता ने उत्तरदात्रियों से जानकारी प्राप्त करनी चाही है कि क्या आपके विचार से भारत में सरकारी नियोजन का महिलाओं के रोजगार के अवसर पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है इस सन्दर्भ में निम्नलिखित सारणी द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी संख्या –1.07: भारत में सरकारी नियोजन का महिला रोजगार के अवसरों पर सीधा प्रभाव पडनें के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

		असंगठित क्षेत्र					
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	हॉ	78	46.42	42	52.50	120	48.38
2	नही	90	53.58	38	47.50	128	51.62
3	योग	168	100	80	100	248	100

सारणी संख्या 1.08: महिलाओं को सरकारी नियोजन का लाभ मिल पाने के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

		असंगठित क्षेत्र					
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	हमेशा	26	33.34	16	38.09	42	35.00
2	कभी–कभी	43	55.12	21	50.00	64	53.34
3	बिल्कुल भी नही	09	11.54	05	11.91	14	11.66
4	योग	78	100	42	100	120	100

सरकारी नियोजन के प्रति स्वीकृति प्रकट करने वाली 48.38 प्रतिशत उत्तरदत्रियों ने स्वीकार किया कि नियोजन का उचित लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। जिसमें 35 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी नियोजन का लाभ सदैव मिल जाता है, जबकि 53.34 प्रतिशत महिलाओं को यह लाभ कभी–कभी ही मिल पाता है। इसके विपरीत 51.62 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने नियोजन का महिला रोजगार पर प्रभाव को अस्वीकार किया है। अतः सार रूप में यह कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया है कि, अधिकांश महिलाओं को नियोजन का उचित लाभ मिल तो रहा है, परन्तु लाभ मिलने की समयसीमा निर्धारित नही है।

सामान्यतया महिलाऐं जब रोजगार में आ जाती है तो जीवन में स्वतन्त्रता की अनुभूति करती हैं। शिक्षा के कारण महिलाओं के जीवन में अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता आयी है। उनमें आत्म विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ी हैं। आज वे राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबन्धन, शासन–प्रशासन, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, आध्यात्म, खेदकूद आदि क्षेत्रों में पुरूषों के साथ अपनी उपस्थिति बना रही है, उनके कन्धों से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं जहॉ वे अपने को स्वतन्त्र एवं प्रसन्नचित्त महसूस कर रही हैं।

आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के नवीन मूल्यों तथा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की नीतियॉ आधुनिक नारी की स्वतन्त्रता का भरपूर समर्थन करती हैं ऐसे में पढ़ी–लिखी नारी उसमें भी उच्च शिक्षित नारी स्वाभाविक है कि स्वतन्त्रता के परिपेक्ष्य में प्रयासशील रहेगी। आज के इस बदलते परिवेश में क्या व्यवसाय में संलग्न महिलाऍ स्वतन्त्रता का एहसास कर रही हैं ? के बारे में उत्तरदात्रियों से उनके विचारों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश अध्ययनकर्ता ने की है, तथा इस सन्दर्भ में उनसे जो दत्त प्राप्त हुए हैं उसे निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।

सारणी संख्या 1.09: रोजगार द्वारा आप स्वयं को स्वतंत्र महसूस के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	हॉ	103	61.31	33	41.25	136	54.84
2	नही	65	38.69	47	58.75	112	45.16
3	योग	168	100	80	100	248	100

उपर्युक्त सारणी का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि आधे से अधिक अर्थात् 54.84 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकृति प्रकट की है कि, रोजगार में आने पर उनको स्वतन्त्रता का एहसास हो रहा है जबकि 45.16 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ इस सन्दर्भ में नकारात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करती हैं।

जिससे स्पष्ट होता है कि अभी भी परिवार में उनकी भूमिका एक अधीनस्थ की है जिससे वे स्वयं को स्वतन्त्र महसूस नहीं करती हैं। अतः स्पष्ट रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदात्रियॉ रोजगार में आने के कारण अपने को स्वतन्त्र मानने लगी हैं। स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति रखने वाली उत्तरदात्रियों से यह भी पूछा गया कि स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति के प्रतिमान कौन से हैं? इस सन्दर्भ में उत्तरदात्रियों से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, 56.61 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ रोजगार में आने से पारिवारिक झंझटों से छुटकारा महसूस करती हैं जबकि 23.53 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पतिके नियंत्रण से मुक्ति समझती हैं और कार्यक्षेत्र में स्वतन्त्रता महसूस करती हैं।

महिलाओं पर अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के खिलाफ न्याय प्राप्त करने हेतु एक नागरिक के रूप में उसकी सुनवाई का प्रावधान है। महिला अधिकारों का हनन रोकने, सामाजिक न्याय दिलाने तथा स्वाभाविक हक दिलाने के लिए अनेक संस्थाओ एवं आयोग का गठन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का भी महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका है, जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। इसी आधार पर उत्तरदात्रियों द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नतालिका द्वारा प्रश्न पूछा गया हैं।

सारणी संख्या –1.10: राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका की जानकारी संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	हॉ	75	44.65	47	58.75	122	49.19
2	नही	93	55.35	33	41.25	126	50.81
3	योग	168	100	80	100	248	100

सारणी संख्या 1.11: महिला आयोग के प्रमुख कार्यो के संदर्भ में उत्तरदात्रियों का प्रत्युत्तर

असंगठित क्षेत्र							
		कुटीर उद्योग क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		योग	प्रतिशत
क्रम संख्या	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत		
1	महिलाओं के प्रति अत्याचारो को रोकना	21	28.00	12	25.53	33	27.05
2	महिला अधिकारों का संरक्षण करना	17	22.67	15	31.92	32	26.23
3	महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना	26	34.66	11	23.40	37	30.33
4	अन्य	11	14.67	09	19.15	20	16.39
5	योग	75	100	47	100	122	100

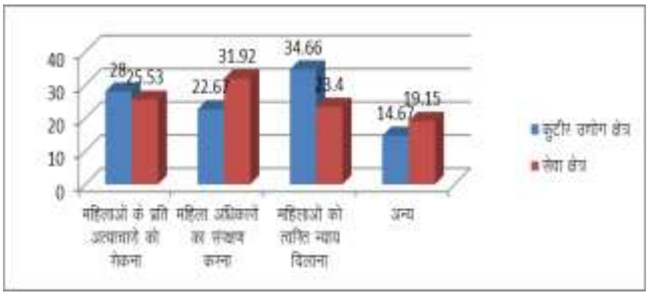

उपर्युक्त सारणी एवं ग्राफ का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं के आधे भाग लगभग 49.19 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकृति प्रकट की है कि उन्हे महिला संरक्षण से सम्बंधित राष्ट्रीय महिला आयोग की जानकारी हैं। जिसमें अधिकांश महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी हैं।

नैनीताल नगर के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के ऑकड़ों के अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् अधिकांश महिलाओं को असंगठित क्षेत्र से सम्बंधित जानकारी का स्तर निम्न है। कुटीर एवं सेवा क्षेत्र के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि सेवा क्षेत्र जिसके अर्न्तगत उच्च शैक्षिक स्तर की महिलाएं कार्यरत् है, को भी इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी नही है। वर्तमान में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत् श्रमिकों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश महिलाओं को इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की पूर्ण एवं आंशिक जानकारी है। जिसके परिणामस्वरूप कार्यरत् महिलाएं इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं का का लाभ नही ले पाती है। महिलाओं को सरकार द्वारा क्रियान्वित सरकारी नियोजन का लाभ भी नही मिल पाता है, यदि मिलता भी है तो लाभ मिलने की समयसीमा निर्धारित नही है। महिलाओं पर अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के खिलाफ न्याय प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय

महिला आयोग का गठन किया गया। जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। इसी आधार पर कार्यरत् महिलाओं के आधे भाग ने स्वीकृति प्रकट की है कि उन्हे महिला संरक्षण से सम्बंधित राष्ट्रीय महिला आयोग की जानकारी हैं। जिसमें अधिकांश महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं को स्वयं के कार्य के प्रति पूर्णतः जानकारी होना आवश्यक है,ताकि कार्यस्थल पर उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण का सामना ना करना पड़ें।

संदर्भ सूची

1. http://www.thehindu.com/news/national/50-quota-for-women-in-panchayats-planned/article8194551.ece
2. सिन्हा०पी०आर०,इन्दुबाला.(2011),''श्रम एंव समाज कल्याण'',भारती भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स), पृ0–93
3. उपर्युक्त।